समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)

(खनन शाखा)

जब्त भण्डारित पत्थर की निलामी की आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रोहतास जिलान्तर्गत अवैध पत्थर खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से चलाये गये व्यापक अभियान के क्रम में बड़ी मात्रा में मेटल/चिप्स/बोल्डर/पटिया आदि जब्त किया गया है। जब्त किये गये मेटल/चिप्स/बोल्डर/पटिया आदि का त्वरित निष्पादन किया जाना अपेक्षित है, जिसे श्रेणीवार जब्त भंडारित पत्थर सामग्री निलामी की आम सूचना निर्गत की जा रही है, जो निम्नवत् है :

श्रेणी–क : मौजा अमरा, अमरी एवं बांसा से जब्त स्टोन मेटल/चिप्स/बोल्डर आदि करवन्दिया रेलवे क्वायरी से चांदनी चौक तक की लम्बाई एवं जी.टी. रोड, करवंदिया से करवन्दिया पहाड़ी के बीच (मे०–चैंपियन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ द्वारा ली गई नीलामी छोड़कर) जब्त बोल्डर की विवरणी निम्नांकित है :

क्र०	निलामी की जाने वाली पत्थर		न्यूनतम सुरिक्षत जमा राशि	अग्रधन की राशि
	सामग्री	मात्रा (घनफीट में)		
1	स्टोन मेटल	89,491.50	8,56,434/-	85,643/-
2	बोल्डर			
3	चिप्स			

श्रेणी–ख : जमुहार गोपी बिगहा में भंडारित बोल्डर की विवरणी :

क्र०	निलामी की जाने वाली पत्थर		न्यूनतम सुरिक्षत जमा राशि	अग्रधन की राशि
	सामग्री	मात्रा (घनफीट में)		
1	बोल्डर	68495.38	6,55,501/-	65,550/-

श्रेणी–ग : जमुहार स्टेडियम में भंडारित चिप्स की विवरणी :

क्र०	निलामी की जाने वाली पत्थर		न्यूनतम सुरिक्षत जमा राशि	अग्रधन की राशि
	सामग्री	मात्रा (घनफीट में)		
1	स्टोन चिप्स ½"	49266	4,71,476/-	47,148/-

श्रेणी–घ : जमुहार गोपी बिगहा में भंडारित स्टोन डस्ट की विवरणी :

क्र०	निलामी की जाने वाली पत्थर		न्यूनतम सुरिक्षत जमा राशि	अग्रधन की राशि
	सामग्री	मात्रा (घनफीट में)		
1	स्टोन डस्ट	450218.18	11,97,580/-	1,19,758/-

उपर्युक्त श्रेणी की पत्थर सामग्रियों का लोक नीलामी में भाग लेने हेतु अलग–अलग निविदा डाली जा सकेगी। इच्छुक डाकवक्ता सभी श्रेणियों में अथवा इच्छित श्रेणी में नीलामी हेतु भाग ले सकेंगे। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित कागजातों को सील एवं मुहरबंद लिफाफा सहित **दिनांक 23.10.2017** (सोमवार) को **3.00** बजे अपराह्न तक अपर समाहर्त्ता, रोहतास के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा। प्राप्त निविदा को **दिनांक 23.10.2017 (सोमवार) को 04.00 बजे अपराह्न में समाहरणालय, रोहतास स्थित अपर समाहर्त्ता, रोहतास के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।** निर्धारित अवधि एवं समय के बाद कोई भी कागजात स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा खोलने की तिथि विस्तृत दिशा–निर्देश एवं शर्तों को कार्यालय अवधि में जिला खनन एवं भूतत्व, रोहतास के कार्यालय में देखा जा सकता है एवं **www.rohtas.bih.nic.in** एवं **www.prdbihar.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता,
रोहतास।

Scanned by CamScanner

लोक नीलामी में भाग लेने हेतु निम्नांकित कागजात समर्पित करना होगा :-

(1) आवास प्रमाण पत्र --स्व-अभिप्राणित।

(2) पैन कार्ड की छायाप्रति --स्व- अभिप्राणित।

(3) दो पासर्पोट साईज फोटो-राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्राणित।

(4) GST / निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(5) आचरण प्रमाण पत्र-जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदधिकारी द्वारा निर्गत।

(6) गत दो वर्षो का आयकर रिर्टन की छायप्रति।

(7) बकाया रहित प्रमाण पत्र-जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा अन्य जिलों के मामले में शपथ-पत्र।

(8) किसी भी जिला में काली सूची में नही डालने संबंधित शपथ-पत्र।

(9) अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, रोहतास के पदनाम से देय होगा।

(10) **कम्पनी मामले :-**

(क) कम्पनी का सभी निदेशक का भारतीय होने से संबंधित शपथ-पत्र।

(ख) कम्पनी का पंजीयन संख्या।

(ग) चार्टड एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षो का Annual Account (Profit & Loss Account).

(घ) मेमोरण्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन।

<u>उपरोक्त सभी कागजातों को बन्द एवं सील्ड लिफाफ में डालकर लिफाफा के उपर "जब्त एवं भण्डारित पत्थर सामग्रियों की निलामी में भाग लेने हेतु " तथा निविदादाता का नाम एवं पुरा पता, मोबाईल नं0 तथा ई-मेल के साथ निर्धारित अवधि एवं समय के पूर्व दाखिल करना होगा।</u>

<u>**विशेष शर्ते :-**</u>

(1) निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को निलामी के पूर्व भण्डारित पत्थर को स्वयं देखकर संतुष्ट हो लेना होग। ।

(2) प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को छोडकर सभी की अग्रधन की राशि अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी।

(3) सफल डाकवक्ता को निलामी राशि का पूर्ण राशि निलामी की तिथि के सात दिनों के अन्दर भुगतान कर देना होगा।

(4) सफल डाकवक्ता को निलामी राशि का भुगतान के समय ही उस पर देय GST की राशि का भुगतान कर देना होगा।

(5) निर्धारित समय तक निलामी में बोली गई राशि का पूर्ण भुगतान नहीं करने पर भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि को जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश निर्गत कर दी जायेगी।

(6) द्वितीय डाकवक्ता द्वारा भी निर्धारित समय तक बोली गई राशि का भुगतान नहीं करने पर उसके द्वारा जमा की गई राशि को जब्त करते हुए पुनः निलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(7) सफल डाकवक्ता का अग्रधन की राशि को निलामी राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

(8) सफल डाकवक्ता को भण्डारित पत्थर का प्रेषण खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित एवं जिला खनन कार्यालय, रोहतास द्वारा सत्यापित परिवहन चालान/ई-चालान के माध्यम से ही करना होगा।

(9) भण्डारित पत्थर का प्रेषण में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर उसका समाधान निविदादाता को स्वयं करना होगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की क्षति-पूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

) पत्थर उठाने के क्रम में किसी प्रकार का अवैध खनन/अवैध खनन से निकाले गये पत्थर को प्राप्त करने की सूचना प्राप्त होने पर जमा की गई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(11) सफल डाकवक्ता को बोली गई राशि का 2.06 प्रतिशत आयकर मद में भुगतान करना होगा एवं अन्य कर का भुगतान करना होगा।

(12) सफल डाकवक्ता को भण्डारित पत्थर सम्पूर्ण प्रेषण कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कर लेना होगा।

(13) समाहर्त्ता रोहतास को बिना कारण बताये निलामी को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

4.10.17

समाहर्त्ता,
रोहतास, सासाराम।

Scanned by CamScanner